



आवश्यक सूचना

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति पोर्टल पर OTR (One Time Registration) करना अनिवार्य है। यदि छात्र/छात्रा द्वारा OTR नहीं किया जायेगा, तो वह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन नहीं कर पायेंगे।

साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु किये गये आवेदन की मूल प्रति के साथ छात्र/छात्रा द्वारा सफलतापूर्वक किये गये OTR (One Time Registration) की प्रति संलग्न कर जमा किया जाना अनिवार्य है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(डॉ० मोहम्मद अकमल)
नोडल अधिकारी-छात्रवृत्ति।

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वैयक्तिक सहायक, कार्यालय को माननीय कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव विश्वविद्यालय।
3. परीक्षा नियन्त्रक।
4. अधिष्ठाता-छात्र कल्याण।
5. उप कुलसचिव।
6. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/विषय प्रभारी/प्रभारी निदेशक/समन्वयक, विश्वविद्यालय।
7. समस्त छात्रवृत्ति प्रभारी।
8. वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. समस्त सूचना पटल (पुरुष एवं महिला छात्रावास)।
10. गार्डफाईल।

नोडल अधिकारी-छात्रवृत्ति।



छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली
उत्तर प्रदेश
Scholarship And Fee Reimbursement Online System



One Time Registration (OTR), UP Scholarship Portal

Guidelines for UP Scholarship

(sponsored by Social Welfare Department, Backward Class Welfare Department, Minority Welfare Department and Tribal Development Department)

Mandatory Requirement:

One Time Registration (OTR) is mandatory from Session 2025-26 for applying for scholarship schemes on UP Scholarship Portal (<https://scholarship.up.gov.in>)

Active Mobile number and Aadhaar Number is mandatory for OTR.

Steps for Registration:

1. After successfully generation of OTR, OTR Number will be displayed as well as it will be sent to registered mobile number only after that student can apply for UP scholarship.
2. It is a three Step Process:
 - A. Mobile Number Authentication.
 - B. Aadhaar e-KYC.
 - C. OTR Number Generation.
3. One OTR Number is allowed per Student.
4. In case more than one OTR is found for a student, he/she would be liable for debarment from scholarships.

• I agree to the following:

☐

I have read and understood the guidelines for One time Registration. I hereby consent to use the Aadhaar/ OTR for de-duplication on UP Scholarship/ National Scholarship Portals.

Proceed >>>